

IT niyam 2021 and Intermediary Liability: आईटी नियम 2021 (और [2023/2024](#) के संशोधन) के तहत 'मध्यवर्ती उत्तरदायित्व' (Intermediary Liability) का क्या अर्थ है? क्या सोशल मीडिया कंपनियाँ अब सीधे तौर पर उपयोगकर्ता द्वारा पोस्ट की गई फेक न्यूज़ के लिए जिम्मेदार मानी जा सकती हैं? आईटी नियम, 2021 और इसके बाद के संशोधनों (2022, 2023 और 2024 के परामर्श) ने भारत में सोशल मीडिया कंपनियों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए जवाबदेही के ढांचे को पूरी तरह बदल दिया है।

1. 'मध्यवर्ती उत्तरदायित्व' (Intermediary Liability) का अर्थ

कानूनी तौर पर 'मध्यवर्ती' (Intermediary) वे प्लेटफॉर्म हैं जो केवल डेटा को स्टोर या प्रसारित करते हैं (जैसे WhatsApp, Facebook, X, या इंटरनेट प्रदाता)।

* सुरक्षित बंदरगाह (Safe Harbour): आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत इन कंपनियों को 'सुरक्षित बंदरगाह' की सुरक्षा प्राप्त है। इसका मतलब है कि अगर कोई उपयोगकर्ता (User) प्लेटफॉर्म पर कुछ अवैध पोस्ट करता है, तो कंपनी को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

* शर्त (Due Diligence): यह सुरक्षा केवल तभी मिलती है जब कंपनियां सरकार द्वारा निर्धारित 'उचित सावधानी' (Due Diligence) के नियमों का पालन करती हैं। यदि वे इन नियमों का पालन करने में विफल रहती हैं, तो वे अपनी कानूनी सुरक्षा खो देती हैं और उन पर भी वही मुकदमा चल सकता है जो सामग्री पोस्ट करने वाले उपयोगकर्ता पर चलता है।

2. क्या कंपनियां फेक न्यूज़ के लिए सीधे जिम्मेदार हैं? इसका उत्तर "हाँ" और "नहीं" के बीच एक बारीक कानूनी रेखा पर टिका है:

* सीधी जिम्मेदारी (Direct Liability): कंपनियां सीधे तौर पर हर पोस्ट के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन 2023 के संशोधन के बाद उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। नियमों के अनुसार, यदि केंद्र सरकार की 'फैक्ट चेक यूनिट' (FCU) किसी जानकारी को 'भ्रामक' या 'फेक' घोषित करती है, तो मध्यवर्ती कंपनियों को उसे हटाना होगा।

* सुरक्षा का नुकसान: यदि कोई कंपनी सरकारी फैक्ट-चेक इकाई द्वारा 'फेक' बताई गई जानकारी को हटाने में विफल रहती है, तो वह धारा 79 (Safe Harbour) के तहत मिलने वाली अपनी सुरक्षा खो देगी। इसके बाद, उस फेक न्यूज़ से होने वाले किसी भी कानूनी नुकसान के लिए कंपनी को सीधे अदालत में घसीटा जा सकता है।

मुख्य बदलाव (2021-2024 के बीच)

विशेषता	विवरण
उचित सावधानी (Due Diligence)	कंपनियों को उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वे फेक न्यूज़ या भ्रामक जानकारी साझा न करें।
शिकायत निवारण (Grievance Redressal)	हर बड़ी सोशल मीडिया कंपनी को एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य है जो 24-72 घंटों के भीतर सामग्री पर कार्रवाई करे।
सामग्री हटाना (Takedown Rules)	न्यायालय या सरकार के आदेश के बाद, कंपनियों को 36 घंटों के भीतर अवैध सामग्री हटानी होती है।

सत्यता की जांच
(Fact-Checking)

2023 के संशोधनों ने सरकार को यह शक्ति दी कि वह सरकारी कामकाज से जुड़ी 'फेक न्यूज़' की पहचान करे और उसे हटवाए।

निष्कर्ष

सोशल मीडिया कंपनियां अब पहले की तरह "सिर्फ एक प्लेटफॉर्म" होने का दावा करके बच नहीं सकतीं। हालांकि वे उपयोगकर्ता द्वारा लिखी गई हर बात के लिए तुरंत अपराधी नहीं बन जातीं, लेकिन 'सतर्कता' न बरतने पर वे अब सीधे तौर पर कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकती हैं।